"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2012—श्रावण 18, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2012

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2012

क्रमांक एफ–15/रा.नि.आ./न.पा./नि.व्य.ले.सं.प्र./2012/989.—यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर–पालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और यतः, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-क के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाएं ;

और यतः, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-ख और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-ख के अन्तर्गत यथास्थिति, नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करे ;

और यतः, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में धन-बल की अनिष्टकारी भूमिका से अच्छी तरह अवगत है और उसे रोकने के लिये अन्य उपायों के साथ–साथ यह आवश्यक और वांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा यथाशक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित करने वाला हो ;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-क और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-क के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के संविधान एवं उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये, पूर्व में जारी निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 (क्रं. 72–तीन.–97–न.पा.–1920. दिनांक 05 जून 1997) को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित आदेश करता है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ**–(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2012 है।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

   (3) यह "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं और अभिव्यक्ति**–इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) ;

   (ख) "अभ्यर्थी " से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष के पद के लिये कराए जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है ;

   (ग) "उप-कंडिका" से अभिप्रेत है उस कंडिका की उप-कंडिका, जिसमें यह शब्द आता है ;

   (घ) " कंडिका " से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका ;

   (ङ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है किसी नगर निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष के पद के लिये कराए जाने वाला निर्वाचन ;

   (च) "निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कराए जा रहे

निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है तथा जिसने निर्वाचन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नही ली हैं ;

(छ) "निर्वाचन व्यय" से अभिप्रेत है किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय, जो उसके नाम निर्दिष्ट होने और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच, (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती है) किया गया है ;

(ज) "प्रोफार्म" से अभिप्रेत है इस आदेश के साथ संलग्न कोई प्रोफार्मा ;

(झ) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का जो इस आदेश में परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में उनके लिये दिया गया है।

3. **निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां**–(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले व्ययों के लेखा में व्यय की हर एक मद की बाबत् निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था ;

(ख) व्यय का स्वरूप (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय) ;

(ग) व्यय की राशि–

(i) जिसका भुगतान किया गया है ;

(ii) जो अभी बकाया है ;

(घ) भुगतान की तारीख ;

(ड.) भुगतान पाने वाले का नाम और पता ;

(च) भुगतान की गई राशि के मामले में वाउचर की कम संख्या ;

(छ) बकाया राशि के मामले में देयक (बिल) की कम संख्या, यदि कोई हो, एवं

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तद्रूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है।

(3) **उप-कंडिका** (1) की मद (ड.) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होगी जिनके लिए उप-कंडिका (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किए गए हैं।

4. **निर्वाचन व्ययों के दिन-प्रतिदिन के लेखे का संधारण**–(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा प्रोफामा-क के अनुसार एक रजिस्टर में, जो कि उसे नाम निर्दिष्ट होने के तत्काल पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदत्त किया जाएगा, संधारित किया जाएगा।

(2) **उप-कंडिका** (1) में संदर्भित रजिस्टर में व्यय के हर मद की विशिष्टियां दिन-प्रतिदिन उसी कालक्रम के अनुसार दर्ज की जाएंगी जिसमें व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है और रजिस्टर के साथ व्यय से संबंधित वाउचर या देयक (बिल) भी संधारित किए जाएंगे।

5. **निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिये पेश किया जाना**– अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन–प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर, संबंधित वाउचरों तथा देयकों के साथ, किसी भी समय, रिटर्निंग आफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर, तत्काल निरीक्षण के लिये पेश किया जाएगा और ऐसा करने में असफलता को अभ्यर्थी की ओर से इस आदेश का अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जाएगा।

6. **निर्वाचन व्ययों का सार विवरण**–निर्वाचन परिणामों की घोषणा के शीघ्र पश्चात्, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रोफार्मा-ख में, निर्वाचन व्ययों का एक सार विवरण तैयार करेगा, जिसमें, सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल व्यय दर्शाया जाएगा।

7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना**–(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

(2) निर्वाचन व्ययों का लेखा, निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) कंडिका 4 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, मूल रूप में ;

(ख) निर्वाचन व्ययों के लेखा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित वाउचर, और

(ग) कंडिका 6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण।

(3) निर्वाचन व्ययों का दिन–प्रतिदिन का लेखा–रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो उन्हें दाखिल किए जाने के पहले, अभ्यर्थी द्वारा अधिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा वाउचर भी प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(4) निर्वाचन व्ययों के लेखा के साथ प्रोफार्मा-ग में एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ–पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा।

8. **लेखा के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना**–जिला निर्वाचन अधिकारी उस तारीख से जिसकों निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा कंडिका 7 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अन्दर एक सूचना, जिसमें–

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम, और

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखे का निरीक्षण किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट होगी, अपने सूचना–फलक पर लगवाएगा।

9. **लेखे का निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करना**—कोई व्यक्ति दस रूपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखे का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त निर्धारित करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार होगा।

10. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चिय**—(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के लिये **अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी**, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर एक रिपोर्ट भेजेगा :–

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम एंव डाक का पूरा पता ;

(ख) ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं, और यदि किया है तो वह तारीख जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, और

(ग) क्या उसकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर और रीति में दाखिल किया गया हैं या नहीं।

(2) जहां कि जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।

(4) निर्वाचन आयोग उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं।

(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों की अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिये, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 14-ग या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961) की धारा 32-ग के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उप-कंडिका (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिये अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उस विषय की

बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेज सकेगा।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अन्दर अभ्यावेदन की प्रति ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

11. **अनुदेश तथा निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति**—निर्वाचन आयोग—

(क) इस आदेश के किसी उपबन्ध को स्पष्ट करने के लिये ;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किसी उपबन्ध के कियान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो, और

(ग) किसी ऐसी विशेष स्थिति जिसके बारे में इस आदेश में कोई उपबंध नही है या इस आदेश में विद्यमान उपबंध अपर्याप्त है और निर्वाचन आयोग की राय में ऐसे अनुदेश अथवा निर्देश जारी करना आवश्यक हैं ;

समुचित अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेगा।

हस्ता./—

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़.

प्रोफार्मा–क

निर्वाचन व्यय का दिन–प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर

महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

1. अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता..

....

2. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम.. (जिला.......................)

व्यय की तारीख	व्यय का स्वरूप (मद)	व्यय की राशि		भुगतान की गई राशि के मामले में			बकाया राशि के मामले में		विशेष कथन
		जिसका भुगतान किया गया	जो अभी बकाया है	भुगतान की तारीख	भुगतान पाने वाले का नाम और पता	वाउचर की कम संख्या	देयक (बिल) की कम संख्या	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे बकाया राशि का भुगतान किया जाना है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख को और निर्वाचन में, मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का यह पूर्ण और सत्य लेखा है।

....

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रोफार्मा—ख

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन

1. अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पूरा पता...

....

2. नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम ....(जिला.............................)

क्रं.	व्यय की मद	मात्रा/ संख्या	व्यय की राशि	भुगतान की तारीख/ तारीखें	व्हाउचर/ व्हाउचरों की कम संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि)					
2	मतदाता सूचियों की प्रतियों की खरीद					
3	प्रचार कार्यालय (किराया, बिजली, पानी,फर्नीचर, टेलीफोन आदि पर व्यय सहित)					
4	घोषणा पत्र, वैयक्तिक जीवन वृत्त/ पूर्व वृतान्त पोस्टर्स, पैमपलैट्स हेण्डबिल्स आदि की छपाई (मुद्रण)तथा उन्हें वितरित करना या भेजना.					
5	दीवालों पर लिखाई, पोस्टर चिपकाना इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मिडिया/ टी.वी. आदि से प्रचार करना आदि					
6	बैनर/पताका,झंडे, कट—आउट, होर्डिंग्स आदि बनवाना और उन्हें प्रदर्शनार्थ लगाया जाना.					
7	बैज, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह के नमूने/आकृतियां मतदाता परिचय पर्चियां (मतदान केन्द्र का स्थान और मतदाता सूची में मतदाता का कमांक दर्शाने वाली पर्चियां) आदि बनाना और उन्हें वितरित करना/ भेजना					
8	**जन सभाएं—**					
	(i) उद्घोषणा (एलान/प्रचार)					
	(ii) जनसभा के स्थानों का किराया					
	(iii) कुर्सियां, दरियां, लाउडस्पीकर आदि					
	(iv) आडियो/वीडियो कैसेट बनाना, बजाना या दिखाना					
	(v) रोशनी, सजावट, फूलमालाए, पेयजल आदि					
9	सार्वजनिक रैली					
10	विज्ञापनों का प्रकाशन					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	अति विशिष्ट व्यक्तियों (व्ही.आई.पी.) के दौरे (ठहरना,परिवहन और आतिथ्य–सत्कार)					
12	स्वागत द्वार (गेट), मेहराब आदि बनाना और उनकी सजावट.					
13	उपयोग में लाये गये वाहन का किराया और उनके परिचालन हेतु पेट्रोल (पी.ओ.एल.) आदि– (i) अभ्यर्थी द्वारा (ii) निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा (iii) मतदान अभिकर्ताओं द्वारा (iv) गणना अभिकर्ताओं द्वारा.					
14	भोजन/जलपान की लागत या मेहनताना – (i) निर्वाचन अभिकर्ता के लिये (ii) मतदान अभिकर्ताओं के लिये (iii) गणना अभिकर्ताओं के लिये (iv) सामान्य कार्यकताओं/समर्थकों/ घर–घर जाने वाले कार्यकताओं के लिये.					
15	मतदान केन्द्रों के बाहर, मतदाताओं को परिचय पर्चिया देने के लिये बूथलगाना, वहां पर तैनात कार्यकताओं के लिये जलपान की लागत/मेहनताना, कुर्सियां और मेजों के किराया आदि सहित.					
16	रेल या सार्वजनिक परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय/पार्टी कार्यालय की यात्राएं,					
17	अन्य मद (उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त)					

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन में, मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मदवार उपगत (किये गये) या प्राधिकृत मदवार निर्वाचन व्यय का यह पूर्ण और सत्य विवरण हैं।

....

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रोफार्मा—ग

जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला..के समक्ष

शपथ—पत्र

मैं..पुत्र/पत्नी/पुत्री.. आयु...........वर्ष निवासी.............. ....इसके द्वारा विधिवत/सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ :—

1. कि मैं नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत ....के निर्वाचन में, जिसका परिणाम (तारीख)..को घोषित हुआ था, महापौर/अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था/थी।

2. कि मैने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने तारीख............................(जिस तारीख को मैं नाम निर्देशित हुआ) एंव जिस तारीख को परिणाम घोषित हुआ, दोनों तारीखों के बीच की अवधि का, उपरोक्त निर्वाचन के संबंध में मेरे द्वारा स्वयं/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय का पृथक् और सही लेखा रखा था।

3. कि उक्त प्रयोजन के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा विहित और प्रदाय किये गये रजिस्टर में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय का दिन—प्रतिदिन का लेखा रखा गया था जो कि संबंधित वाउचरों/देयकों के साथ संलग्न है।

4. कि उक्त प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण निर्वाचन व्ययों के लेखा का सार विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रोफार्मा में तैयार किया गया है और उसकी एक सत्यप्रति संलग्न है।

5. कि मेरे निर्वाचन व्ययों के लेखा में जो इसके साथ संलग्न है, मेरे स्वयं या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें सम्मिलित हैं और उसमें कुछ भी छिपाया या रोका/दबाया/छोड़ा नहीं गया है।

6. पूर्वोक्त पैरा (1) से (5) में दिये गये विवरण मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही हैं और कृछ भी झूठ नहीं है और कुछ भी जो महत्वपूर्ण है छिपाया या रोका/दबाया/छोड़ा नहीं गया है।

अभिसाक्षी

तारीख...को (स्थान)..पर

श्री/श्रीमति/कुमारी...द्वारा मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से ली गई शपथ।

Raipur, the 4th August 2012

The Election Expenses (Maintenance and Lodging of Account) Order, 2012

No. F-15/S.E.C./N.P./E.E.M.L.A./2012/989.—Whereas the superintendence, direction and control of all elections to Municipalities in the State of Chhattisgarh are vested in the State Election Commission by the Constitution of India ;

AND, WHEREAS, section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) cast an obligation on every candidate at an election of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal council or a Nagar Panchayat, as the case may be, to keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent with such particulars as may be prescribed by the State Election Commission ;

AND, WHEREAS, section 14-B of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) cast another obligation on every contesting candidate at an election of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal council or a Nagar Panchayat, as the case may be, to lodge within thirty days from the date of election, with the officer notified by the State Election Commission an account of his election expenses ;

AND, WHEREAS, the State Election Commission is deeply aware of the pernicious role of money power in elections and deems it necessary and expedient to curb it, *interalia*, by ensuring that the account of election expenses to be lodged by a candidate is, as far as possible, comprehensive and reflective of the actual expenditure ;

NOW, THEREFORE, in exercise of its powers conferred by Article 243-ZA of the Constitution of India read with section 14-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and section 32-A of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, in order to make the provisions of the constitution of India and the said acts more effective, the State Election Commission, in supersession of the Election Expenses (Maintenance and Lodging of Account) Order 1997 (No. 72-III-SEC-97-1920 dated 5 June 1997) issued earlier, hereby makes the following order :-

1. **Short title, extent, application and commencement.**—(1) This order may be called the Election Expenses(Maintenance and Lodging of Account) order, 2012.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh State.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. **Definations and interpretation.**—In this order, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be ;

(b) 'Candidate' means a person who has been duly nominated as a candidate at an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or a Nagar Panchayat ;

(c) 'Sub-paragraph' means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs ;

(d) 'Paragraph' means a paragraph of this order ;

(e) 'Election' means an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or Nagar Panchayat ;

(f) 'Contesting candidate' means a person who has been duly nominated as a candidate at an election to the office of Mayor of a Municipal Corporation or President of a Municipal Council or Nagar Panchayat and who has not withdrawn his candidature within the period specified in the election rules ;

(g) 'Election expense means any expenditure incurred or authorised by a candidate or his election agent in connection with an election during the period between the dates on which he has been nominated and the date on which result thereof has been declared (both days inclusive) ;

(h) 'Proforma' means a 'Proforma' appended to this Order ;

(i) The words and expressions used, which have not been defined in this Order shall carry the meaning assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) or the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, as the case may be.

3. **Particulars of account of election expenses.**— (1) The account of election expenses to be kept by a candidate or his election agent under the Act shall contain the following particulars in respect of each item of expenditure, namely :-

(a) the date on which the expenditure was incurred or authorised ;

(b) the nature of expenditure (as for example, travelling, postage or printing and the like);

(c) the amount of the expenditure—

(i) the amount paid ;

(ii) the amount outstanding ;

(d) date of payment ;

(e) the name and address of the payee ;

(f) the serial number of vouchers, in case of amount paid ;

(g) the serial number of bills, if any, incase of amount outstading ;

(h) the name and address of the person to whom the amount outstading is payable.

(2) A voucher shall be obtained for every item of expenditure unless from the nature of the

3-

case, such as postage, travel by rail and the like, it is not practicable to obtain a voucher.

(3) It shall not be necessary to give the particulars mentioned in item (e) of sub-paragraph (1) in regard to items of expenditure for which vouchers have not been obtained under sub-paragraph (2).

4. **Maintenance of day to day account of election expenses.**—(1) The account of election expenses shall be maintained by a candidate or his election agent from day to day, in a register in Proforma A, which shall be supplied to him by the Returning Officer immediately after his nomination.

(2) The particulars of every item of expenditure shall be entered in the register referred to in sub-paragraph (1), from day to day in the same chronological order in which the expenditure is incurred or authorised and the vouchers or bills relating to the expenditure shall be maintained along with the register.

5. **Production of the record of day to day accout of election expenses for inspection.**—The register of day to day account of election expenses together with the supporting vouchers and bills shall be produced for inspection at any time during the process of election, by the candidate or his election agent, on demand by the Returning Officer, the District Election Officer or an Observer or Officer authorised by the Election Commission in this behalf, forthwith and failure to do so shall be deemed to be a major default on the part of the candidate to comply with this order.

6. **Abstract statement of election expenses.**—Soon after declaration of the result of election every contesting candidate or his election agent shall also prepare an abstract statement of election expenses in Proforma B, clearly showing the total expenditure on various items listed therein.

7. **Lodging of the account of election expenses.**—(1) Every contesting candidate or his election agent shall lodge the account of election expenses with the District Election Officer, within the time specified in the Act, that is, thirty days from the date of election.

(2) The account of election expenses shall comprise the following documents, namely :—

(a) the register of day to day account of election expenses referred to in paragraph 4 in original,

(b) vouchers relating to the entries made in the register of election expenses, and

(c) abstract statement of election expenses, referred to in paragraph 6.

(3) The register of day to day account of election expenses and the abstract statement of election expenses shall be authenticated and countersigned by the candidate in case they have been prepared and signed by his election agent and the vouchers shall also be countersigned by him, before being lodged.

(4) The account of election expenses shall be accompanied by an affidavit of the candidate in proforma C and shall not be regarded as complete without such an affidavit.

8. **Notice by District Election Officer for inspection of account.**—The District Election Officer shall, within two days from the date on which the account of election expenses has been loged by a candidate under Paragraph 7 cause a notice to be affixed to his notice board, specifying—

(a) the day on which the account has been lodged ;

(b) the name of the candidate, and

(c) the time and place at which such account can be inspected.

9. **Inspection of account and the obtaining of copies thereof.**—Any person shall, on payment of a fee of ten rupees be entitled to inspect any such account and on payment of such fee as may be fixed by the Election Commission in this behalf, be entitled to obtain attested copies of such account or any part thereof.

10. **Report by the District Election Officer as to the lodging of the account of election expenses and the decision of Election Commission thereon.**— (1) As soon as may be after the expiration of the time specified in the Act for the lodging of the account of election expenses the District Election Officer shall send a report to the Election Commission about every contesting candidate, on the following points :-

(a) The name of the contesting candidate with full postal address ;

(b) Whether such candidate has lodged his account of election expenses and if so, the date on which such account has been lodged ; and

(c) Whether in his opinion such account has been lodged within the time and in the manner required by the Act and this Order.

(2) Where the District Election Officer is of the opinion that the account of election expenses of any contesting candidate has not been lodged in the manner required by the Act and this Order, he shall with every such report forward to the Election Commission the account of election expenses of that candidate.

(3) Immediately after the submission of the report referred to in sub-paragraph (1) the District Election Officer shall publish a copy thereof by affixing the same to his notice board.

(4) As soon as may be after the receipt of the report referred to in sub-paragraph (1) the Election Commission shall consider the same and decide whether any contesting candidate has failed to lodge the account of election expenses within the time and in the manner required by the Act and this Order.

(5) Where the Election Commission decides that a contesting candidate has failed to lodge his account of election expenses within the time and in the manner required by the Act and this Order, it shall by notice in writing call upon the candidate to show cause why he should not be disqualified under section 14-C of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)or section 32-C of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be, for the failure.

(6) Any contesting candidate who has been called upon to show cause under sub-paragraph

(5), may within fifteen days of the receipt of such notice submit in respect of the matter a representation in writing to the Election Commission and shall at the same time send to the District Election Officer a copy of his representation.

(7) The District Election Officer, within five days of the receipt thereof, forward to the Election Commission the copy of the representation with such comments as he wishes to make thereon.

11. **Power of Election Commission to issue instruction and directions.**—The Election Commission may issue appropriate instructions or directions —

(a) for the clarification of any provision of this Order ;

(b) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provision ; and

(c) for any special situation for which, there is no provision in this order or the existing provisions in this Order are insufficient and in the opinion of the Election Commission it is necessary to issue such instructions or directions.

Sd/-

(P. C. DALEI)
State Election Commissioner
Chhattisgarh.

REGISTER OF DAY-TODAY ACCOUNT OF ELECTION EXPENSES **Proforma-A**

ELECTION OF MAYOR/PRESIDENT

1. Name of the candidate with full postal address..

....

2. Name of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat...................................

(district ....)

Date of Expenditure	Nature of Expenditure (Item)	Amount of Expenditure		In case of amount paid			In case of amount outstanding		Remarks
		Paid	Outstanding	Date of payment	Name and address of payee	Serial No. of Voucher	Serial No. of Bill	Name and address of person to whom the amount outstanding is payable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Certified that this is a complete and correct account of election expenses incurred or authorised by me my election agent on the date/s and at the election mentioned above.

....

Signature of the Contesting Candidate.

Proforma-B

ABSTRACT STATEMENT OF ELECTION EXPENSES

ELECTION OF MAYOR/PRESIDENT

1. Name of the candidate with full postal address..

....

2. Name of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat..

....(district ....)

S. No. (1)	Item of Expenditue (2)	Quantity/ Number (3)	Amount of Expenditure (4)	Date(s) of payment (5)	Serial No./Nos. of voucher/s etc. (6)	Remarks (7)
1	Security deposite					
2	Purchase of copies of voters list.					
3.	Campaign office/s (including expenditure on rental, water, electricity, furniture, telephone etc.)					
4.	Printing & distribution or despatch of : manifesto, personal history/ curriculum vitae posters, pumphlets, hand bills etc.					
5.	Wall writings, pasting of posters compaigning through Electronic/print media/T.V. etc.					
6.	Preparation and display of banners, flags, cut-outs, hoardings etc.					
7.	Preparation and distribution of badges, election symbol-prototypes and voter indentity slips (showing the place of polling station and the S.NO. of the voter in the Voter's list) etc.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Public meetings :- (i) announcement/propaganda. (ii) hiring charges of places of public meetings. (iii) chairs, durries, public address system etc. (iv) Play/Recording of audio/video cassettes, photography/videography. (v) Illuminiation & decoration, garlands, drinking water etc.					
9.	Public Rally.					
10.	Publication of advertisements.					
11.	Visits of VIP's (Accommodation, transport and hospitality).					
12.	Construction and decoration of gates and arches.					
13.	Hiring charges and POL on vehicles used by :- (i) the candidate (ii) by Election agent (iii) by polling agents (iv) by counting agents.					
14.	Remuneration/cost of food/refreshment given to :- (i) election agent (ii) polling agents (iii) counting agents (iv) general workers/supporters/workers visiting house-to-house.					
15.	Setting up of booths outside the polling station to issue voter identity slips, including expenditure on remuneration/cost of refreshment given to the workers posted there, hire charges of tables and chairs etc.					
16.	Journeys to Party/District Election Office by rail or any Other mode of public transport.					
17.	Other items (other than those listed above).					

Certified that this is a complete and correct statement of itme wise election expenses incurred or authorised by me or my election agent, at the election mentioned above.

....

Signature of the Contesting Candidate

Proforma-C

BEFORE THE DISTRICT ELECTION OFFICER, DISTRICT ....

AFFIDAVIT

I .... Son/wife/daughter of .... aged .... years r/o .... do hereby.

Solemnly and sincerly state and declare as under :-

1. That I was a contesting candidate at the election to the office of Mayor/President of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat .... the result of which was declared on ....

2. That I/My election agent kept a seperate and correct account of all expenditure in connection with the above election incurred or authorised by me or by my election agent between .... (the date on which I was nominated) and the date of declaration of the result thereof, both days inclusive.

3. That the day-to-day account of all election expenditure was maintained in the register prescribed and supplied by the State Election Commission for the purpose and the same is annexed hereto, with the supporting vouchers/bills mentioned in the said account.

4. That an Abstract statement of Account of all election expenditure has been prepared in the proforma prescribed by the State Election Commission for the purpose and a true copy thereof is annexed hereto.

5. That the account of my election expenditure as annexed hereto includes all items of election expenditure incurred or authorised by me or by my election agent and nothing has been concealed or withheld/suppressed/omitted there from.

6. That the statements in the foregoing paragraphs 1 to 5 are true to my personal knowledge, that nothing is false and nothing material has been concealed or withheld or suppressed or omitted.

Deponent

Solemnly affirmed/sworn by..at(Place).. this day of .... before me.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.